International Journal for Multidisciplinary Research
Plagiarism & Intellectual Property Rights in Digital Age (PIPRDA-2023)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

बौद्धिक सम्पदा अधिकार – एक लघु विश्लेषण

डॉ. जय श्री गुप्ता

(सहायक प्राध्यापक विधि) शासकीय विधि महाविद्यालय राजगढ़ (म.प्र.)

संदर्भः

व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुये कई प्रकार के आविष्कार, रचनायें, शोध आदि का सृजन करता है और इन आविष्कारो, रचनाओं, शोध आदि पर उसी व्यक्ति का अधिकार होना चाहिये जो इसका निर्माता है क्योकि यह उसकी स्वयं की बुद्धि की उपज होती है अतः यह उसकी बौद्धिक सम्पदा हुयी और इसी बौद्धिक सम्पदा पर उसके अधिकार की बौद्धिक सम्पदा अधिकार कहते है। लेकिन जब इसी सम्पदा पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिकार जताया जाता है और वह अपने लाभ के लिये इस सम्पदा का प्रयोग करने लगता है तो ऐसी स्थिति में इस सम्पदा के संरक्षण का प्रश्न उठता है ताकि उसके वास्तविक स्वामी के अधिकारी का हनन न हो। इसी क्रम में बौद्धिक सम्पदा अधिकारो की रक्षा के लिये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की गई। इस संगठन द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारो की रक्षा के लिये सार्थक प्रयास किये गये। 193 देश इस संगठन के सदस्य है। 1975 में भारत इस संगठन का सदस्य बना।

उद्देश्यः

बौद्धिक सम्पदा अधिकार दिये जाने का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की सृजनशीलता ककको बढ़ावा देना है। क्योंकि ये अधिकार व्यक्ति को अनन्तकाल के लिये प्रदान नही किये जाते इसलिये इन अधिकारो के संरक्षण के लिये एक निश्चित समय तथा एक निश्चित क्षेत्र घोषित किया जाता है, इस निश्चित समयावधि के पश्चात अन्य व्यक्ति इन अधिकारो का प्रयोग कुछ संशोधन या कुछ नये प्रयोग के साथ करने के लिये स्वतंत्र होता है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकारो के प्रकारः

(1).कॉपीराइटः

इसके अन्तर्गत किताबें, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कम्प्यूटर, डाटाबेस, प्रोग्राम, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी चित्रांकन आते है। इन कार्यो मे से किसी भी कार्य के लिये उसका कोपीराइट एक निश्चित समय तक ही रहता है जिसके पश्चात यह कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाता है कॉपीराइट एक्ट विचारो की अभिव्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है विचारो को नही। उदाहरणतः भारत का कॉपीराईट एक्ट किसी भी व्यक्ति की कॉपीराईट एक्ट के अन्तर्गत संरक्षित एक पुस्तक को बिना लाइसेंस प्राप्त किये या बिना अनुमति लिये उसके ''उचित प्रयोग'' की अनुमति देता है। इस ''उचित प्रयोग'' के अन्तर्गत एक पुस्तक अथवा उसकी विषयवस्तु का प्रयोग शोध, समीक्षा, आलोचना या शिक्षा के लिये किया जा सकता है।

कॉपीराईट एक्ट के अन्तर्गत संरक्षित किसी पुस्तक पर यह एक्ट निम्न प्रकार से लागू होता है :–

1. किसी लेखक द्वारा लिखी एवं प्रकाशित पुस्तक उसकी मृत्यु के पश्चात भी 60 वर्ष तक संरक्षित रहेगी।
2. किसी लेखक द्वारा लिखी पुस्तक यदि उसकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई हो तो यह पुस्तक प्रकाशन के 60 वर्ष तक कॉपीराईट एक्ट के अन्तर्गत संरक्षित रहेगी।
3. यदि पुस्तक किसी संस्थान या संगठन के द्वारा प्रकाशित हुयी हो तो भी वह पुस्तक प्रकाशन के 60 वर्ष तक संरक्षित रहेगी। कॉपीराईट एक्ट के अन्तर्गत किसी लेखक की पुस्तक की प्रतिलिपि या कॉपी करके अपने नाम से प्रकाशित करना अपराध है, जिसके लिये दण्ड का प्रावधान है।

कॉपीराईट एक्ट के अन्तर्गत दो प्रकार के अधिकार दिये जाते है :–

1. इसके अन्तर्गत एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की रचना का उपयोग करने के बदले आर्थिक पारितोषिक दिया जाता है।
2. इसके अन्तर्गत दूसरे व्यक्ति की रचना का पुनः उपयोग करने या वितरित करने की अनुमति दी जाती है तथा इस कार्य के लिये लेखक द्वारा लाइसेंस दिया जाता है।

(2). पेटेन्ट एक्ट (1970):

पेटेन्ट एक्ट एक प्रकार का अनुबंध है जो एक आविष्कारकर्ता था राज्य के बीच होता है। आविष्कारकर्ता को अपने आविष्कार से संबंधित सम्पूर्ण विवरण को प्रस्तुत करने के बदले में राज्य से एक निश्चित समय (सामान्यतः 20 वर्ष) के लिये एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। पेटेन्ट प्राप्त हो जाने पर आविष्कारकर्ता को यह अधिकार होता है कि वह उसे अपने अनुसार प्रयोग करें अथवा एक निश्चित समय के लिए किसी अन्य को बेच दे। भारत में पेटेन्ट कार्यालय कलकत्ता, मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई में स्थित है। ऐसे आविष्कार जो आक्रामक, अनैतिक या असामाजिक छवि वाले होते है तथा जो आविष्कार विभिन्न रोगो के लक्षण जानने के लिये प्रयुक्त होते हो, उन्हे पेटेन्ट का दर्जा नही मिलता।

(3). ट्रेडमार्क (1999):

ट्रेडमार्क एक प्रकार का प्रतीक चिन्ह है जिसके द्वारा किसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओ और सेवाओ से प्रथक किया जा सके। यह चित्र के रूप मे, चिन्ह के रूप मे या त्रिविमीय चिन्ह जैसे ध्वनि या विभिन्न रंगो के रूप मे हो सकता है। सामान्यतः इस ब्राण्ड या ब्राण्ड नेम भी कहते है। ट्रेडमार्क के लिये आवश्यक है कि वह विशिष्ट हो तथा व्यवसाय मे प्रयुक्त होता हो।

ट्रेडमार्क के मुख्यतः चार कार्य होते है :–

1. यह वस्तु की पहचान तथा उसकी उत्पत्ति स्पष्ट करता है।
2. यह वस्तु की गुणवत्ता की गारंटी देता है।
3. यह वस्तु के प्रचार को सुनिश्चित करता है।
4. यह वस्तु की ख्याति का परिचायक है। भारत में ट्रेडमार्क आवंटन एवं उसके नियंत्रण हेतु पॉच कार्यालय मुम्बई, दिल्ली, कोलकता, अहमदाबाद एवं चेन्नई मे है। मुख्य कार्यालय मुम्बई मे है।

(4). भौगोलिक संकेत :– यह एक संकेत है जो उन उत्पादो पर प्रयोग किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और इसमे उस क्षेत्र की विशेषता के गुण व प्रतिष्ठा भी पाई जाती है। जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी केसर, कश्मीरी पशमीना, तिरूपति के लड्डू। एक भौगोलिक संकेत का धारक किसी ओर व्यक्ति को उसी उत्पाद को उसी तकनीक से बनाने से नही रोक सकता। लेकिन दूसरा व्यक्ति उसी संकेत का उपयोग नही कर सकता। भारत मे यह अधिनियम 1999 मे बनाया गया और 2003 से लागू हुआ।

(5). औद्योगिक डिजाइन :– भारत मे डिजाइन अधिनियम, 2000 के अनुसार डिजाइन से तात्पर्य है आकार, अनुक्रम, विन्यास, प्रारूप या अलंकरण, रेखाओं या वर्णो का संघठन जिसे किसी ऐसी वस्तु पर प्रयुक्त किया जाये जो या तो द्वितीय रूप में या तिविमीय रूप मे या दोनों में हो।

(6). ट्रेड सीक्रेट्स :– व्यापार रहस्य एक व्यापार के स्वामित्व के ज्ञान तथा वाणिज्यिक कार्य प्रणाली से संबंधित है। व्यापार रहस्य का सार्वजनिक रूप से प्रगट करना अवैध हो सकता है।

भारत मे बौद्धिक सम्पदा अधिकार व्यवस्था मे कमियॉ :–

1. भारत के ग्रामीण इलाको मे किसानों को यह जानकारी नही होती कि कौन सी किस्म पेटेन्ट के तहत आती है और कौन सी नही। इस कारण कारपोरेट्स और किसानों में टकराव होता रहता है।
2. पेटेन्ट करवाने की प्रक्रिया जटिल होने के कारण आम आदमी के लिए एक मुश्किल कार्य है। अतः निर्धारित समय पर पेटेंट मंजूर करवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
3. हमारे पेटेंट कार्यालयों के पास शोध संबंधी सूचनाओं की कमी रहती है और किसी शोध का पेटेंट मंजूर करने से पहले यह जानना आवश्यक होता है कि वह शोध पहले से विद्यमान शोध से बेहतर है या नही।
4. मशीनीकरण के इस युग में यदि हम बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्राप्त करने का आधार इन मशीनो को बनाते है तो भविष्य मे ये मशीने ही अपने नाम पर पेटेंट करवायेगी।
5. निजी क्षेत्र को आकर्षित न कर पाना भी एक बड़ी खामी है।

बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु भारत सरकार के प्रयास :–

- **पेटेंट अधिनियम 1970** और **पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005** इस संशोधन के द्वारा प्रोडक्ट पेटेन्ट का विस्तार तकनीक के सभी क्षेत्रो मे किया गया जैसे खाद्य पदार्थ, दवा निर्माण सामग्री आदि के क्षेत्रो मे इसे विस्तृत किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत में प्रक्रिया एवं उत्पाद पेटेंट केवल 14 वर्ष के लिये ही प्रदान किया जाता था। खाद्य, रसायन एवं औषधि क्षेत्र में 5 से 7 वर्ष के लिये प्रक्रिया पेटेन्ट किया जाता था।
- **ट्रेडमार्क अधिनियम (1999)** – इस अधिनियम मे शस्त्र, चिन्ह, ध्वनि, रंग, वस्तु का आकार आदि शामिल है।
- **कॉपीराइट एक्ट (1957)** – इस अधिनियम को 1957 में बनाकर बौद्धिक सम्पदा अधिकारो की रक्षा के लिये सम्पूर्ण देश मे लागू किया गया।
- **भौगोलिक संकेत अधिनियम (1999)** – यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति उस भौगोलिक क्षेत्र के प्रचलित उत्पाद के नाम का उपयोग नही कर सकता।
- **डिजाइन अधिनियम (2000)** – यह अधिनियम सभी प्रकार की औद्योगिक डिजाइन को संरक्षण प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति (2016)** – भारत सरकार ने 12 मई 2016 को राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति को मंजूरी दी थी। इस नीति के द्वारा बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाता है। इस नीति के निम्न उद्देश्य है
- जनता में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- जनता में इन अधिकारों के सृजन को बढ़ावा देना।
- बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के लियें ऐसे नियम बनाना जिसके दूसरे वास्तविक हकदार एवं लोकहित के बीच संतुलन स्थापित हो सके।
- बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का मूल्य निर्धारण करना।
- बौद्धिक सम्पदा अधिकारो का उल्लघंन रोकने के लिये एक मजबूत न्यायिक व्यवस्था स्थापित करना।
- सेवा अधारित बौद्धिक सम्पदा अधिकार को बढावा देना।
- बौद्धिक सम्पदा अधिकारो मे कौशल निर्माण करना।

बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास :–

- **पेरिस कंवेन्शन (1883)** :– इसमें औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिये प्रयास किये गये जिसमें ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन एवं आविष्कार के पेटेंट शामिल है।
- **बर्न–कंवेन्शन (1886)** :– इसमे साहित्यिक और कलात्मक कार्यो के संरक्षण के लिये प्रयास किये गये। जिसमे उपन्यास, लघुकथॉए, नाटक, गाने, ओपेरा, संगीत, ड्रॉईग, पेटिंग, मूर्तिकला और वास्तुशिल्प शामिल है।

- **मराकेश संधि (2013)** :– इस संधि के अनुसार किसी किताब को ब्रेलिपि में छापे जाने पर, यह बौद्धिक सम्पदा अधिकार का उल्लघंन नही है। भारत इस संधि को अपनाने वाला प्रथम देश है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति –

बौद्धिक अधिकारो के संरक्षण में वैश्विक बौद्धिक सम्पदा सूचकांक 2020 में भारत 53 देशों की सूची में 40 वे स्थान पर रहा। धीमी गति से ही भारत द्वारा अपनी रैकिंग में समग्र वृद्धि दर्ज की गई है।

सारांश :–

इस लेख मे हमने जाना कि बौद्धिक सम्पदा अधिकार मानव मस्तिष्क की कल्पना शक्ति का सर्वश्रेष्ट उत्पाद है। इसके अन्तर्गत साहित्य ,संगीत, चित्र, डिजाइन, आविष्कार कला,खोज आदि के क्षेत्रो में व्यक्ति या व्यक्तियों के समुह द्वारा जो कुछ सृजन किया जाता है उसे बौद्धिक सम्पदा अधिकार कहते है। इन अधिकारो को सृजनकर्ता एक निश्चित समय तक विशिष्ट उपयोग करने का एकमात्र अधिकारी होता है। अलग – अलग श्रैणी के बौद्धिक सम्पदा अधिकारो को विभिन्न भागो मे विभाजित किया गया है। इन अधिकारो के संरक्षण के लिए WIPO (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन) की स्थापना 1959 में की गई। इसके अंतर्गत 26 अंतर्राष्ट्रीय संधिया की गई। भारत मे भी बौद्धिक सम्पदा अधिकारो के संरक्षण के लिये कई अधिनियम पारित किये गये। जिनका उल्लेख इस लेख मे किया गया है। भारतीय पेटेंट व्यवस्था में अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था जारी करने के साथ जनहित मे पेमेंट वापस लेने का भी प्रावधान करता है। रॉयल्टी भुगतान पर उच्च सीमा निर्धारित की गई है। इस तरह हम देखते है कि भारत को अपने समग्र बौद्धिक संपदा ढांचे मे बदलाव लाने की दिशा मे अभी और काम करनेकी आवश्यकता है साथ बौद्धिक सम्पदा मानको को लागू करने के लिए गंभीर कदम उठाये जाने की भी आवश्यकता है।

संदर्भ :–

1. द हिन्दु, द इण्डियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन आदि मे प्रकाशित लेख drishtilas.com
2. हिन्दी ज्ञान कोश.com
3. www.nov.ac.in